उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग–3

संख्या:- 1106/36-03-2022-14(सा0)/2019

लखनऊ : दिनाँक : 03 अगस्त, 2022

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आपित्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 1089/36–03–2022–14(सा0)/2019, दिनांक 29 जून, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 प्रकाशित की गयी थी।

और, चूँिक, कोई आपित्त और सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं—

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।
 - (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।
- 2— उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 1963 में, नियम–2क में:

नियम 2—क का संशोधन

(एक) नीचे स्तम्म-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान उपनियम

प्रत्येक दुकान या व्यापारिक स्थापन का स्वामी उक्त अधिनियम की धारा—4(ख) की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अविध के अन्दर अपनी दुकान या व्यापारिक स्थापन के पंजीकरण के लिए सम्बद्ध निरीक्षक के प्रारुप (ठ) में अभ्यावेदन करेगा। अभ्यावेदन स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और पंजीकरण शुल्क जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, के संदाय के सबूत में सम्बद्ध निरीक्षक के पक्ष में ट्रेजरी चालान बैंक ड्राफ्ट (रेखांकित) के साथ होगा। उस वित्तीय वर्ष की अविध के दौरान जिसके बारे में पंजीकरण चाहा गया है, किसी दिवस पर दुकान या व्यापारिक स्थापन में नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि को विनिश्चित करने के लिए

स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2). प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी, उक्त अधिनियम की धारा 4(ख) की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नीचे यथा विनिर्दिष्ट और श्रमायुक्त द्वारा यथा विहित अपेक्षित रिजस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करने पर अपनी दुकान या अधिष्ठान के रिजस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या पर फीस एक बार ही उद्गृहीत की जायेगी।

भाग-।

भाग-।

क्रम	दुकान की	प्रति	व्यापारिक	प्रति	क्रम	दुकान की	रजिस्ट्री	वाणिज्य	रजिस्ट्री
सं0	श्रेणी	वित्तीय	स्थापन	वित्तीय	संख्या	श्रेणी	करण	अधिष्ठान	करण
		वर्ष या	की श्रेणी	वर्ष या वर्ष			हेतु	की श्रेणी	हेतु
		वर्ष के		के भाग			एकमुश्त		एकमुश्त
		भाग का		का शुल्क			फीस		फीस
		शुल्क							
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	बगैर	40	बगैर	80	1.	1 से 5	2250	1 से 5	4500
	किसी		किसी			कर्मचारी		कर्मचारी	
	कर्मचारी		कर्मचारी			नियोजित		नियोजित	
	के		के			करने		करने वाली	
						वाली			
2.	1 से 5	150	1 से 5	300	2.	6 से 10	3000	6 से 10	6000
	कर्मचारी		कर्मचारी			कर्मचारी		कर्मचारी रिक्रोरिक	
	नियोजित		नियोजित			नियोजित करने		नियोजित करने वाली	
	करने वाली		करने वाली			करन वाली		करन पाला	
3.	6 से 10	200	6 से 10	400	3.	11 से 25	6000	11 से 25	15000
3.	कर्मचारी	200	कर्मचारी	400	J.	कर्मचारी	0000	कर्मचारी	10000
	नियोजित		नियोजित			नियोजित		नियोजित	
	करने		करने			करने		करने वाली	
	वाली		वाली			वाली			
4.	11 से 25	400	11 से 25	1000	4.	25 से	7500	25 से	30000
	कर्मचारी		कर्मचारी			अधिक		अधिक	
	नियोजित		नियोजित			कर्मचारी		कर्मचारी	
	करने		करने			नियोजित		नियोजित	
	वाली		वाली			करने		करने वाली	
						वाली			
5.	25 से	500	25 से	2000					
	अधिक		अधिक						
	कर्मचारी		कर्मचारी						
	नियोजित करने		नियोजित करने						
	करन वाली		वाली वाली						
	पाला		पाला						
भाग-॥				भाग-II					
क्रम				रु0	क्रम				रु0
सं0				eatrywedd	संख्या				
1.	व्यापारिक स्थापन जो कि 1000			1.	वाणिज्य	अधिष्ठान	जिसका	15000	
	रंगशाला	या चल				उपयोग र	रंगशाला र	गा चलचित्र	
	लिए या ि					के लिए			
	या मनोरं	जन या ब	ारात घर			सार्वजनिक	आमोद	प्रमोद या	

	या या अतिथिगृह के रुप में प्रयुक्त किया जाता है।			मनोरंजन या बारात घर या अतिथिगृह के रुप में किया जाता है।	
2.	तीन तारांकित स्तर तक का होटल	2000	2.	तीन सितारा स्तर तक का होटल	30000
3.	चार या पॉच तारांकित होटल या समान स्तर का होटल	5000	3.	चार या पाँच तारांकित होटल या समान स्तर का होटल	75000
4.	1 से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली पंजीकृत कम्पनी का स्वामित्व रखने वाली कोई दुकान या व्यापारिक स्थापन	1000	4.	1 से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली रिजस्ट्रीकृत कम्पनी का स्वामित्व रखने वाली कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान	15000
5.	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान/ अधिष्ठान	2000	5.	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान/ अधिष्ठान	30000

(दो) नीचे स्तम्भ 1 दिये गये विद्यमान उपनियम (4) तथा (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम

दुकान या व्यापारिक स्थापन का हर एक स्वामी अपनी दुकान या व्यापारिक स्थापन का पंजीकरण पाँच वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकृत करवाएगा और नवीनीकरण की स्थिति में पाँच वित्तीय वर्षों के लिए नवीनीकृत करवायेगा जोकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अगले नवीनीकरण के समय विहित शुल्क के भुगतान पर अगले 10 वर्षों तक के लिए हो सकता है।

ऐसी दुकान या व्यापारिक स्थापन जो कि वार्षिक संविदा के आधार पर चलाए जाते हैं, केवल उस वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क का संदाय करेंगे जिसके लिए संविदा की गयी है।

धारा 4—ख के अंतर्गत अनुदत्त धारा 4(ग) के अंतर्गत नवीकृत हर एक पंजीकरण प्रमाण—पत्र इतने वित्तीय वर्षों के लिए वैध बना रहेगा जितने के लिए यह पंजीकृत या नवीकृत किया जाता है।

स्तम्म–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(4)(एक) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का रिजस्ट्रीकरण एक बार करवाएगा। ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान, जो वार्षिक संविदा के आधार पर चलाए जाते हैं, उस वर्ष के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे और उपरोक्त विहित फीस के पन्द्रहवें (1/15) भाग का भुगतान करेंगे।

- (दो) दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान, जो पूर्व से पांच वर्ष के लिए रिजस्ट्रीकृत हैं उनका नवीकरण, नियम 2 क के उपनियम (2) के अधीन विहित फीस का भुगतान करने पर किया जाएगा।
- (5) निकाल दिया गया

(तीन) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) तथा (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण

(v) पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए सादे कागज पर उसमें स्वामी का

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम (7) निकाल दिया गया

E/vikalp 2022 UP Shop rules final

नाम, दुकान / व्यवसायिक स्थापन के नाम और पते और कर्मचारियों की संख्या का कथन करते हुए प्रत्येक अभ्यावेदन सम्बद्ध निरीक्षक को किया जाएगा और विहित शुल्क के साथ होगा। नवीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप 'द' में होगा।

(vi) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए प्रभारित शुल्क वही होगी जो कि उसके अनुदान के लिए होगी।

पंजीकरण प्रमाण-पत्र और इसके नवीकरण के लिए अभ्यावेदन पर विलम्ब शुल्क

यदि दुकान या व्यापारिक स्थापन के पंजीकरण के लिए अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 4—ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त नहीं की जाती है अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए अभ्यावेदन उपनियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अविधि के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है तब ऐसी पंजीकरण या नवीकरण यथास्थिति पंजीकरण या नवीकरण यथास्थिति पंजीकरण या नवीकरण शुल्क के 12 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग की दर से विहित शुल्क से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा। विलम्ब शुल्क अभ्यावेदन के साथ होगी।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और इसके नवीकरण के लिए आवेदन पर विलम्ब फीस

यदि किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 4—ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसा रिजस्ट्रीकरण, विहित शुल्क के अतिरिक्त प्रति माह रिजस्ट्रीकरण फीस या उसके आंशिक भाग के एक प्रतिशत की दर से विलम्ब फीस का भुगतान किये जाने पर ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 1106(1)/36—03—2022 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रितिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रित सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 03 अगस्त, 2022 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट—4 (खण्ड क) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रितयाँ श्रम अनुभाग—3 बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय लखनऊ को एवं 250 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर पेटी संख्या—220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह विशेष सचिव।

2

UTTAR PRADESH SHASAN SHRAM ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1106 /XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019 dated *OZ* August, 2022:

NOTIFICATION

No. 1106 /XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019 Lucknow; Dated: 03 August, 2022

WHEREAS the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Navam Sanhodhan) Niyamawali, 2022 was published by Government notification no. 1089/ XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019, dated 29 June, 2022 with a view to inviting objections and suggestions as required by sub-section (3) of section 40 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962).

AND WHEREAS no objection and suggestion has been received within stipulated time. Now, THEREFORE in exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijiya Adhisthan Niyamawali, 1963:

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN (NAVAM SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2022

Short title and commencement

- 1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Navam Sanshodhan) Niyamawali, 2022.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Niyamawali, 1963 in rule 2-A:-

(i) for the existing sub-rule (2) set out in Column-I below, the sub- rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I Existing sub-rule

(2) The owner of every shop or commercial establishment shall within the period as specified in sub-section (1) of section 4-B of the said Act, make an application in Form "L" to the Inspector concerned for registration of his shop or commercial establishment. The application shall be signed by the owner and accompanied by a Treasury Challan/Bank Draft (crossed) in favour of the Inspector

COLUMN -II Sub-rule as hereby substituted

(2) The owner of every shop or commercial establishment shall, within the period as specified in subsection (1) of section 4-B of the said make an application Act, of his shop registration or establishment on payment of requisite registration fee as specified below and in the manner as prescribed by the

E/vikalp 2022 UP Shop rules final

concerned in proof of payment of registration fee as specified below. The maximum number of employees employed in the shop or commercial establishment on any day during the financial year in respect of which the registration is sought will be taken into consideration for deciding the amount of fee leviable. Labour Commissioner. The fee will be levied one time only on maximum number of employees employed during finanical year.

PART I

PART I

Sl no.	shop	financi al year of part of the year	Category of commercial establishme nt	financia l year of part of the year	no.	Category of shop	One- time Fee for registrat ion	establishme nt	
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	With no employee	40	With no employee	80	1.	Employin g 1 to 5 employees	2250	Employing 1 to 5 employees	4500
2.	Employing 1 to 5 employees	150	Employing 1 to 5 employees	300	2.	Employin g 6 to10 employees		Employing 6 to 10 employees	6000
3.	Employing 6 to 10 employees	200	Employing 6 to 10 employees	400	3.	Employin g 11 to 25 employees		Employing 11 to 25 employees	15000
4.	Employing 11 to 25 employees	400	Employing 11 to 25 employees	1000	4.	Employin g more than 25 employees	7500	Employing more than 25 employees	30000
5.	Employing more than 25 employees	500	Employing more than 25 employees	2000		-			

PART II

_		-	-	
P	A	ĸ	T.	ш

SI		Rs.	Sl		Rs.
no.			no.		
1.	Commercial establishment	1000	1.	Commercial establishment	15000
	which is used as theatre or			which is used as theatre or	
	cinema or for any other public			cinema or for any other public	
	amusement or entertainment.			amusement or entertainment or	
				Barat Ghar or Guest house	
2.	Hotel up to three-starred	2000	2.	Hotel up to three-starred	30000
	standard			standard	
3.	Four or five-starred hotels or	5000	3.	Four or five-starred hotels or	75000
	hotels of like standard			hotels of like standard	
4.	Any shop having ownership of	1000	4.	Any shop or commercial	15000

	registered company or any commercial establishment employing 1 to 25 employees	for		establishment having ownership of registered company employing 1 to 25 employees	cou foin
5.	Non-Banking Financial Institution/ Adhishthan	2000	5.	Non-Banking Financial Institution/ Adhisthan	30000

(ii) for the existing sub-rules (4) and (5) set out in Column-I below, the sub-rules as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I Existing sub-rules

- (4) Every owner of a shop or commercial establishment shall get his shop or commercial establishment registered for five financial years and, if it is a case of renewal, renewed for five financial years which may be up to ten financial years at the time of next renewal under this Act on payment of prescribed fee. The shops and commercial establishments which are run on yearly contract basis shall pay the prescribed fee for that financial year only for which the contract has been given.
- (5) Every registration certificate granted under section 4-B or renewed under section 4-C shall remain valid for such number of financial years, as it is registered or renewed for.

COLUMN -II Sub-rules as hereby substituted

- (4) (i) Every owner of a shop or commercial establishment shall get his shop or commercial establishment registered one-time. The shops and commercial establishments which are run on yearly contract basis shall apply for licence for that year and shall pay one-fifteenth (1/15 th) of the above prescribed fee.
- (ii) The shops and commercial establishments which are already registered for five years shall be renewed once on deposition of fee prescribed under sub-rule (2) of rules 2-A.
 - (5) Omitted

(iii) for the existing sub-rules (7) and (8) set out in Column-I below, the sub-rules as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I Existing sub-rules

(7) Renewal of registration Certificate:-

- (i) Every application for renewal of a registration certificate may be made on plain paper stating therein the name of owner, name and address of shop/commercial establishment and number of employees, to the Inspector concerned and shall be accompanied by the prescribed fee. The renewal of the registration certificate shall be in For 'M'.
- (ii) The fee chargeable for renewal of a registration certificate shall be the same as

COLUMN -II Sub-rules as hereby substituted (7) Omitted

E/vikalp 2022 UP Shop rules final

for the grant thereof.

(8) Late fee on application for Registration Certificate and its renewal:-

If an application for registration of a shop or commercial establishment is not received within the period specified under sub-section (1) of section 4-B of the Act or application for renewal of registration is not received within the period specified in sub-rule (7), such registration or renewal, as the case may be, shall be made only on the payment of a late fee at the rate of 12½ percent of the fee of registration or renewal, per month or part thereof, in addition to the prescribed fee. The late fee shall accompany application.

(8) Late fee on application for Registration Certificate and its renewal:-

If an application for registration of a shop or commercial establishment is not received within the period specified under sub-section (1) of section 4-B of the Act, as the case may be, such registration shall be made only on payment of a late fee at the rate of one percent of the fee of registration per month or part thereof, in addition to the prescribed fee. The late fee shall accompany the application.

By order,

(Suresh Chandra) Additional Chief Secretary.